(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :— 50/2021 तारीख रजू :— 22.09.2021

पीठासीन अधिकारी — अनूपसिंह

R.A.S.

1. प्रदीप पुत्र अशोक जाति जाटव निवासी हिण्डौन तहसील हिण्डौन
2. रामकेश पुत्र मांगीलाल जाति जाटव निवासी सैंगरपुरा तहसील करौली जिला करौली ——————————— प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान
2. भरोसी पुत्र पून्याराम जाति जाटव निवासी मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ
3. द्रोपती पत्नि फत्ते | जाति जाटव निवासी मिल्कीपुरा
4. रिन्कू | पिसरान फत्ते
5. हाकिम | तहसील सूरौठ जिला करौली
6. बनैसिंह | पिसरान रामफूल
7. रामदयाल
8. अंजना पत्नि प्रदीप
9. सरोज पत्नि उदयसिंह ——————————— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :—1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट प्रार्थीगण

2. श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट अप्रार्थी सं02

निर्णय दिंनाक :— 5/5/2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 स्थित ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ में प्रार्थी सं01 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिनसे अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 3299 के चारों दिशाओं में अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमियॉ है। जो कि नक्शा ट्रेस में भली प्रकार दर्शित हैं। लेकिन डौल मेंढ को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.23 11:29:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

लेकर आराजी के कम ज्यादा रकबे को लेकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन मन मुटाव व कहा सुनी की स्थिति बनी रहती है। इसलिए प्रार्थी की ओर से अपनी आराजी खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 स्थित ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ की पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 स्थित ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ के पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1, 3 लगायत 9 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं02 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आया तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं01 जिस प्रकार से बयान किया गया है, गलत है स्वीकार नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 स्थित ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ प्रार्थी सं01 व 2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 जिस प्रकार से बयान किया गया है, गलत है स्वीकार नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 के चारों दिशाओं के खातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है, डोलमेड व कम ज्यादा रकवे को लेकर पक्षकारान के मध्य मनमुटाव व कहासुनी की स्थिति कभी नहीं रही है। प्रार्थीगण प्रदीप आदि द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी कतई गलत व विधि विरूद्ध पेश किया है।

विशेष कथन :– जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि भूमि खसरा नम्बर 3299 आवेदकगण प्रदीप व रामकेश की खातेदारी व कब्जा काश्त की नहीं है इसलिए कानूनन उन्हें प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि भूमि खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 साबिक में अमरसिंह पुत्र नेताराम जाटव की खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है।भूमि को लेकर पूर्व में कोई विवाद नहीं था

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop S
Date: 2022.06.23 11:29:58
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

और ना ही अब है अमरसिंह द्वारा विक्रय कर संभलाये गये स्थान/ भूमि पर खरीददारान द्वारा प्लॉटिंग का कार्य कर दिया गया है, यानि भू–खण्डधारियों का कब्जा करा दिया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि पत्थरगढी कराये जाने से पूर्व कानूनन सीमांकन कराया जाना आवश्यकीय है। सीमाज्ञान के अभाव में प्रार्थना पत्र हाजा कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं है, खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि आवेदकगण भू–माफिया किस्म के व्यक्ति है व अचल सम्पत्तियों के क्रय – विक्रय का कार्य करते हैं। आवेदकगण ने करीब व बलहीन व्यक्तियों को तंग व परेशान कर विधि विरुद्ध भूमि हथियाने के आश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल नक्शा सीट हाल नम्बरान, नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 किता 5, पेश किये हैं। इसके विपरीत अप्रार्थीगण ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है।

वकील प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं02 के वकील उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और अवगत कराया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमिं खसर नम्बर 3299 का सीमाज्ञान कराते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार सा0 सूरौठ को आदेश फरमावें। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी सं02 ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया । प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत [illegible] सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 [illegible] खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम [illegible] हिस्सा 1/2 जाति [illegible]टव खातेदारी प्रार्थीगण प्रदीप कुमार पुत्र अशोक कुमार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.23 11:29:58 IST
Reason: SelfAttested

निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन, रामकेश पुत्र मांगीलाल हि01/2 जाति जाटव निवासी सैंगर पुरा तहसील करौली खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नक्शा सीट के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 ग्राम मिल्कीपुरा के पूर्व दिर्शा में खसरा नम्बर 4331/3298 तथा पश्चिम दिशा की तरफ खसरा नम्बर 3300 एवं उत्तर दिशा की तरफ खसरा नम्बर 3300/4085 एवं दक्षिण दिशा की तरफ खसरा नम्बर 3307 है

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 3300/4085 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ की खातेदारी चारागाह सरकारी भूमि दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 3331/3298 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ की खातेदारी भरोसी पुत्र पून्याराम जाति जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 3307 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ की खातेदारी द्रोपती पत्नि फत्ते हि01/9, बनैसिंह पुत्र रामफूल हि0 1/3, रामदयाल पुत्र रामफूल हि01/3, रिंकू पुत्र फत्ते हि01/9, हाकिमसिंह पुत्र फत्ते हि01/9 जातियान जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 3300 रकबा 0.59 है0 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ की खातेदारी अंजना पत्नि प्रदीप हि01/2जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौनं, सरोज पत्नि उदयसिंह हि01/2 जाति जाटव सा0जटनंगला खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.23 11:29:58 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ के प्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 3299 की भूमि के चारों दिशाओं के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खातेदार काश्तकार हैं। अप्रार्थी सं02 ने उक्त पत्थरगढी के आदेश जारी किये जाने में आपत्ति जाहिर की है किन्तु जो आपत्ति जाहिर की है उनके सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेजी सबूत अप्रार्थी सं02 के द्वारा पेश नहीं किये गये हैं। जिनके आधार पर अप्रार्थी सं02 की आपत्तियाँ निराधार है। जिनका उक्त प्रकरण पर कोई प्रभाव किसी प्रकार का नहीं पडता है। प्रार्थीगण उक्त विवादित आराजीयात के खातेदार काश्तकार होने के कारण अपनी खातेदारी की भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान कराते हुए पत्थरगढी कराने के अधिकारी साबित हैं। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुँचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 ग्राम सिक्कोपुरा का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाते समय मौके पर कानून व्यवस्था एवं परिशान्ति बनाये रखने हेतु यदि तहसीलदार उचित समझे तो थानाधिकारी थाना सूरौठ से पर्याप्त पुलिस जाप्ता नियत तारीख पेशी को प्राप्त कर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निश्चित करते हुए खसरा नम्बर 3299 के सभी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें तथा प्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार सूरौठ के यहाँ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार सूरौठ एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/05/202.. को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.23 11:29:58 IST
Reason: SelfAttested

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)